

1. चुनाव आचार संहिता लागू रहने तक सांसद और विधायक नहीं जारी कर सकेंगे विकास योजनाओं के लिये निधि : राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को लिखा पत्र।
2. चुनाव के दौरान बैंकों को जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी एक लाख रुपये से अधिक के लेन-देन की जानकारी।
3. समाजवादी पार्टी ने पांच लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान : अपना दल कमेरावादी के साथ सपा का गठबंधन ढूटा।

और
4. बदायूँ कांड में फरार दूसरा आरोपी बरेली से गिरफ्तार।

---

प्रदेश में सांसद और विधायक अपने संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिये आदर्श आचार संहिता के लागू रहने तक कोई नई निधि जारी नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आदर्श

आचार संहिता के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक संसद सदस्य और विधायक या विधान परिषद सदस्य के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से पैसा जारी नहीं होगा। अगर कोई कार्य चल रहा है, तो उसे रोका नहीं जायेगा और उसका भुगतान भी हो सकता है, लेकिन नये कार्य शुरू नहीं होंगे। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं और निर्माण से जुड़ी सामग्री खरीद कर साइट पर पहुंचाई जा चुकी हैं, ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो सकेंगी।

---

उधर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति और सभी बैंकों के उच्च अधिकारियों के साथ भी कल लखनऊ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हर बैंक खाते से होने वाले बड़ लेन-देन पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। बैंकों को एक लाख या इससे अधिक के टांजेक्षण की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। यदि निकासी दस लाख रुपये से अधिक की होगी तो जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इसकी सूचना आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को भी देनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्रत्याशी का निर्वाचन व्यय के लिये अलग खाता खोला जायेगा।

---

लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान मतदाता की पहचान के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन काड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार, फाटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं।

---

प्रदेश के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शुरू हुए नामांकन के दूसरे दिन भी ज्यादातर प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पत्र ही लिए गए। आज कोई नामांकन नहीं हुआ। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी। नामांकन के दौरान आरओ-एआरओ कार्यालय में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटों पर कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। इन लोकसभा सीटों में 7 सामान्य सीटें हैं, वहीं नगीना सीट आरक्षित है। पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकनपत्रों की जांच 28 मार्च को होगी तथा 30 मार्च को नाम वापसी का दिन तय है। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में एक करोड़ तिरालिस लाख मतदाता है। इस चरण में होने वाले मतदान के लिये कुल सात हजार से अधिक मतदान केन्द्र तथा 14 हजार 842 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उधर आजाद समाज पार्टी के नेता चन्द्रशेखर के देर से पहुंचने पर बिजनौर लोकसभा सीट पर उनका नामांकन दाखिल नहीं हो सका।

---

प्रदेश के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शुरू हुए नामांकन के दूसरे दिन भी ज्यादातर प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पत्र ही लिए गए। आज कोई नामांकन नहीं हुआ। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी। नामांकन के दौरान आरओ-एआरओ कार्यालय में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटों पर कल से

नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। इन लोकसभा सीटों में 7 सामान्य सीटें हैं, वहीं नगीना सीट आरक्षित है। पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकनपत्रों की जांच 28 मार्च को होगी तथा 30 मार्च को नाम वापसी का दिन तय है। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में एक करोड़ तिरालिस लाख मतदाता है। इस चरण में होने वाले मतदान के लिये कुल सात हजार से अधिक मतदान केन्द्र तथा 14 हजार 842 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उधर आजाद समाज पार्टी के नेता चन्द्रशेखर के आज देर से पहुंचने पर बिजनौर लोकसभा सीट पर उनका नामांकन दाखिल नहीं हो सका।

---

समाजवादी पार्टी ने कल प्रदेश की पांच और लोकसभा सीटों के लिये उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जबकि पूर्व में गौतमबुद्धनगर सीट के लिये घोषित प्रत्याशी को बदल दिया है। पार्टी ने सम्भल सीट के लिये यहां के दिवंगत सांसद शफीकुर्रहमान बक के पौत्र व मुरादाबाद की कुन्दरकी सीट के सपा विधायक जियाउर्रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है। बागपत से पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी, पीलीभीत से पूर्व मंत्री भगवत् सरन गंगवार, घोसी से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय और मिर्जापुर से उद्योगपति राजेन्द्र एस बिन्द को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं गौतमबुद्धनगर सीट पर पहले

उम्मीदवार घोषित किये गये डॉक्टर महेन्द्र नागर की जगह राहुल अवाना को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी अब तक प्रदेश में पैंतालीस लोकसभा सीटों के लिये प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पार्टी ने भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस के लिये छोड़ी है, जबकि सत्रह सीटें कांग्रेस को दी हैं।

---

समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के अब तक चले आ रहे गठबंधन के खत्म होने पर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहर लगादी। आज एक प्रेसवार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने अपना दल कमेरावादी से गठबंधन की बात को नकार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में कमेरावादी से गठबंधन था, 2024 में नहीं है।

अखिलेश यादव के बयान के कुछ मिनटों पहले ही अपना दल कमेरावादी की नेता व विधायक पल्लवी पटेल ने प्रदेश की फूलपुर, कौशांबी और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी।

---

## बक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

ताज़ा समाचार जानने के लिये आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन ए0आई0आर0 डॉट एन0आई0सी0 डॉट आई0एन0 पर लॉगिन कर सकते हैं।

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है।

---

बदायूं में दो सगे भाईयों की निर्मम हत्या के बाद फरार चल रहा दूसरा आरोपी जावेद भी आज बरेली के सेटेलाईट बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। जावेद, हत्या कांण्ड के बाद से दिल्ली में रह रहा था और बरेली में सरेंडर करने आया था। सूचना पर बरेली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बदायूं पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस उससे पूछ—ताछ कर रही है। जावेद के भाई साजिद का हत्या कांण्ड वाले दिन ही इनकाउंटर हो चुका है।

---

रामजन्म भूमि परिसर के भव्य मंदिर में विराजमान रामलला पहली बार होली खेलेंगे। इसके लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। रामलला कचनार के फूलों से बने प्राकृतिक गुलाल से होली खेलेंगे। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर कचनार, त्रेतायुग में अवध का राज्य वृक्ष भी था। उधर, मथुरा में आज का दिन छड़ीमार होली के नाम रहा। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक और श्रद्धालुओं ने होली

का आनन्द उठाया। गोकुल में कई स्थानों पर कान्हा के बाल स्वरूप को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई और गोपियों ने बाल गोपाल के साथ छड़ीमार होली खेली। भगवान् कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता था इसलिये आज बाल कृष्ण के साथ गोपिया छड़ीमार होली खेलती है। दूसरी तरफ बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में आज चिता भस्म से होली खेली गई। एक रिपोर्ट.....

बाबा की नगरी काशी में गुरुवार को मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के भस्म से होली खेली गयी। यहाँ भूत-पिशाच का वेश धारण किए लोगों में किसी ने चिताओं के भस्म से होली खेली, तो कोई डमरुओं के नाद पर थिरका। किसी ने चेहरे पर राख मला, तो कोई चिता भस्म से नहाया हुआ नजर आया, पूरा माहौल शिवमय रहा। यहा पर लोग चिताओं की राख को अपने देह पर मलते हैं। इसके साथ ही अधजली चिताओं पर गंगाजल और थोड़ी-सी भस्म भी छिड़का जाता है। जिससे उनकी आत्मा को जाते-जाते बाबा का प्रसाद मिल जाए। चिताओं की जलती राख को लोग शिव के प्रसाद के रूप में अपने मुँह मेंभी डालते हैं। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी पर गौना कराकर लौटते समय बाबा विश्वनाथ ने देवताओं के साथ खूब होली खेले थे। लेकिन, भूत-प्रेत और आँघड आदि के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसी वजह से बाबा ने अगले दिन महाश्मशान में भूतों की होली खेली थी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।

---

दक्षिण अफ्रीका की टीम के क्रिकेटर केशव महाराज ने अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन किया। केशव लखनऊ सुपर जॉइंट्स को टीम के सदस्यों के साथ अयोध्या पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर गेंदबाज केशव महाराज के साथ, सभी सदस्यों ने कोच जस्टिन लैंगर और जोंटी रोड्स के नेतृत्व में रामलला का दर्शन किया।

---

जिला रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान सहित सभी आरोपियों को आज एक अन्य मुकदमे में बरी कर दिया गया।

जिले के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान और अन्य के खिलाफ 12 मुकदमें दर्ज हुए थे। इसमें से एक मुकदमे में सभी आरोपियों को पहले बरी किया जा चुका है, जबकि दूसरे मामले में आजम खान को 7 साल की सजा और 8 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसी प्रकरण में आज एक और मामले में फैसला आया। इसमें आजम खां समेत आठ लोग आरोपी थे। इसमें मकानों पर बुलडोजर चलवाने के साथ ही घर में लूटपाट करने का भी आरोप था।

---

बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रदीप चैधरी को कोविड प्रोटोकॉल तथा आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एमपी-एमएलए की विशष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उनतीस मार्च को विधायक को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।

(समाप्त)